अध्याय 9 अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन

9.1 केन्द्रीय स्तर पर अनुवेक्षण

योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार, एम.ओ.यू.डी. और एम.ओ.एच.यू.पी.ए. द्वारा उनसे संबंधित संघटकों को प्रत्येक राज्य/यू.टी. के लिए मंत्रालय द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा अनुवीक्षण और मूल्यांकन किया जाना था।

एम.ओ.यू.डी. में एक मिशन निदेशालय था जो केवल जे.एन.एन.यू.आर.एम. के लिये बनाया गया था। निदेशालय में अक्टूबर 2010 को तीन निदेशक थे जो सभी राज्यों/यू.टी. जहाँ जे.एन.एन.यू.आर.एम. की योजना लागू की जा रही थी, के लिये जिम्मेदार थे। उनको सौंपे गये राज्यों/यू.टी. के संबंध में, निदेशकों को सी.डी.पी. की जाँच, सी.एस.एम.सी., के विचार के लिये डी.पी.आर. की जाँच, मूल्यांकन एजेंसियों के प्रतिवेदनों की जाँच, सुधारों की संवीक्षा, परियोजनों के लागू होने का अनुवेक्षण का कार्य भी सौंपा गया था।

9.1.1 स्टाफ की कमी के कारण मंत्रालयों का अपर्याप्त अनुवेक्षण

जे.एन.एन.यू.आर.एम. निदेशालय बनाते समय अतिरिक्त स्टाफ को भर्ती नहीं किया गया था। (स्टाफ की सही तरीके से गणना नहीं की गयी थी) और मंत्रालय में जो नियुक्त स्टाफ था उन्हें ही आन्तरिक रूप से निदेशालय में नियुक्त किया गया था। मंत्रालय ने महसूस किया कि निदेशालय के बढ़ते कार्य के अनुरूप स्टाफ नहीं रखा गया था। एम.ओ.यू.डी. के अभिलेखों से यह भी पाया गया कि उन्होंने मंत्रालय के प्रशासनिक खण्ड को 2008 में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे उसके बाद कुछ नियुक्तियाँ हुई। यहां यह जानना उल्लेनीय है कि अतिरिक्त स्टाफ के लिये प्रस्ताव 2008 में रखा गया था, जबकि योजना 2005 में लागू की गयी थी।

इस प्रकार की परियोजनाओं के अनुवीक्षण एवं निरीक्षण के लिए साधन नहीं जुटाये गये और यह अचम्बा है कि मिशन के शुरू में ही मिशन निदेशालय मजबूत नहीं किया गया था। केवल अभी अप्रैल 2011 में, मार्च 2012 तक अस्थायी रूप से केवल 18 पदों का सृजन किया गया जिनमें दो निदेशक/उप–सचिव शामिल थे।

एम.ओ.एच.यू.पी.ए. में, एक मिशन निदेशक का पद, दो निदेशक के पद/उप–सचिव (डी.एस.), एक उप–निदेशक (डी.डी.) का पद, और दो अवर सचिवों (यू.एस.) के पद, के प्रस्ताव के विरूद्ध प्रत्येक एक पद का सृजन किया था। अगस्त 2007 तक एक डी.एस./निदेशक, एम.ओ.एच.यू.पी.ए. में अपने कार्य के साथ जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अतिरिक्त प्रभार को संभाल रहा था। आई.एच.एस.डी.पी. को लागू करने के लिये, यह निर्णय लिया गया था कि वर्तमान अधिकारियों एवं स्टाफ जोकि राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) एवं बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वी.ए.एम.बी.ए.वाई.) का था, को प्रयोग में लाया जायेगा क्योंकि आई.एच.एस.डी.पी. में ये दोनों योजनाएं समाहित थीं। यद्यपि, एन.एस.डी.पी. स्टाफ नियुक्त नहीं किया गया था एवं पी.ए.एस. वी.ए.वाई. से चार स्टाफ मेंबर प्रत्येक अनुभाग अधिकारी ग्रेड का, सहायक एल.डी.सी. एवं चपरासी नियुक्त किये गये थे।

लेखापरीक्षा में पाया कि मंत्रालय को समस्त देश में इस तरह की योजना को कार्यान्वित करने से पहले अनुमान, अपना कर्त्तव्य और अच्छी तैयारी करनी थी। यह परियोजनाओं को प्रभावी रूप से अनुवेक्षण एवं पूर्णता को सुनिश्चित कर सकते थे।

एम.ओ.यू.डी. ने अपने जवाब (मई 2012) में लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों को नोट कर लिया था।

9.1.2 राज्यों द्वारा त्रिमासिक प्रगति रिपार्टों को भेजने में देरी

योजना में प्रावधान है कि एस.एल.एन.ए. त्रिमासिक प्रगति रिपोर्टों (क्यू.पी.आर.) को एम.ओ.यू.डी. एवं एम.ओ.एच.यू.पी.ए. को भेजेगा। परियोजनाओं के लिये अनुवर्ती राशि भेजते समय क्यू.पी.आर. को इनपुट की

तरह प्रयोग करना था। लेखापरीक्षा में पाया कि क्यू.पी.आर. प्राप्ति में देरी हुई। कुछ मामलों में क्यू.पी. आर कभी भी प्राप्त नहीं हुई।

एम.ओ.यू.डी. ने जवाब दिया (अप्रैल 2012) कि ज्यादातर राज्यों में क्यू.पी.आर. प्राप्त हो गयी थीं। यद्यपि, कुछ राज्य स्टाफ की कमी के कारण क्यू.पी.आर. भेजने में अनियमित थे और मंत्रालय द्वारा उनके साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्यवाही की गई।

9.1.3 परियोजनाओं की सम्पूर्णता रिपोर्ट को समय से नहीं माँगा

स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति अनुवेक्षण के लिये यह सुनिश्चित किया गया था कि परियोजना की सम्पूर्णता पर राज्य सरकार के माध्यम से नोडल एजेंसी इस संबंध में सम्पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यद्यपि, लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया कि वे मंत्रालय को नहीं भेजे जा रहे थे। मंत्रालय के अभिलेखों के अनुसार यू.आई.जी. के अन्तर्गत 105 परियोजनाएं मार्च 2011 तक पूरी हो चुकी थीं जबकि तीन राज्यों/यू.टी. (दिल्ली, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश) की केवल 10 परियोजनाओं की सम्पूर्णता की स्थिति मंत्रालय में प्राप्त हुई थी (मई 2010)। यह भी पाया गया कि एम.ओ.यू.डी. ने राज्यों के साथ सम्पूर्णता रिपोर्ट को माँगने के मामले में तत्परता नहीं दिखाई एवं केवल 1 नवम्बर 2011 को राज्यों (उन राज्यों एवं उन परियोजनाओं के लिये जिनके लिये सभी चार किस्तों की राशि भेज दी गई थीं) को वित्तीय क्लोजर प्रमाण–पत्र/सम्पूर्णता प्रमाण–पत्र या परियोजना की वर्तमान स्थिति जैसा मामला हो, को भेजने के लिये याद दिलाया। इस तरह एम.ओ.यू.डी. ने अनुवीक्षण के लिए एक टूल की तरह 'सम्पूर्णता रिपोर्ट' की जाँच नहीं की।

एम.ओ.यू.डी. ने जबाव (मई 2012) दिया कि औपचारिक सम्पूर्णता प्रमाण–पत्र सामान्यतः परियोजना का ट्रायल रन सफल होने के बाद जारी किया जाता है एवं केवल कुछ ही पूर्ण परियोजनाएं ही ट्रायल रन में सफल हुईं।

लेखापरीक्षा में जबाव स्वीकारीय नहीं है क्योंकि एम.ओ.यू.डी. को आवश्यक ट्रायल रनों और सम्पूर्णता रिपोर्टों को तुरंत भेजने के लिये राज्यों से कहना चाहिये था।

9.1.4 तकनीकी सलाहकार ग्रुप के संस्थापन के उद्दे य की अनुपलब्धि

शहरी शासन के सुधार हेतु, सामुहिक कार्यवाही संचालित करने में सिविल सोसायटी से अनुभव प्राप्त एक तकनीकी सलाहकार की अध्यक्षता में एक सलाहकार ग्रुप राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जाना था। तकनीकी सलाहकार ग्रुप (टी.ए.जी.) को यू.आई.जी. के लिये 27 फरवरी 2006 को गठित किया एवं यह कहा कि राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार (एन.टी.ए.) जो टी.ए.जी. का अध्यक्ष था, सी.एस.एम.सी. के लिये विशेष रूप से आमंत्रित होगा।

माह में कम से कम एक बार टी.ए.जी. की बैठक वांछित थी यानि एक वर्ष में 12 बैठकें। यद्यपि, मार्च 2006 से मार्च 2011 के दौरान 60 वांछित बैठकों में से केवल 37 बैठकें ही टी.ए.जी. द्वारा की गयीं।

प्रत्येक मिशन शहर में मिशन की सहायता के लिये जन हिस्सेदारी को बढ़ावा देने हेतु एक सिटी वालेंटियर तकनीकी क्रोपस (सी.वी.टी.सी.) का गठन वांछित था। तथापि, अगस्त 2011 तक 65 मिशन सिटी में से, सी.वी.टी.सी. केवल 14 मिशन सिटी में आया।

एम.ओ.एच.यू.पी.ए. की सी.एस.एम.सी. की बैठकों के लिये एम.ओ.यू.डी. द्वारा विशेष आमंत्रित के रूप में एन.टी.ए. का गठन करना था। तथापि, एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने सूचित किया (जुलाई 2011) कि बी.एस.यू.पी./आई.एच.एस.डी.पी. की सी.एस.एम.सी./सी.एस.सी. बैठकों में एन.टी.ए. को आमंत्रित नहीं किया गया।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना हेतु उद्देश्यों की पूर्ति के स्तर को देखने एवं यह आंकने के लिए कि क्या उन पर किये गये खर्च का उनके द्वारा प्रदत्त योगदान से मेल खाता है, मंत्रालय ने टी.ए.जी. की कार्यप्रणाली की समीक्षा करनी चाहिए।

एम.ओ.यू.डी. ने उत्तर दिया (अप्रैल 2012) कि जैसा संभव था टी.ए.जी. मिला एवं टी.ए.जी. ने सी.एस.एम.सी. की बैठकों में उनकी उपलब्धता के आधार पर भाग लिया। यह कहा कि टी.ए.जी. ने सी.वी.टी.सी. के प्रोत्साहन में बहुत प्रयास किये। लेखापरीक्षा में जबाव स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि वास्तव में केवल 14 मिशन सिटी में ही सी.वी.टी.सी. का गठन हुआ।

9.2 राज्य स्तर पर अनुवीक्षण

9.2.1 स्वतंत्र समीक्षा एवं अनुवीक्षण एजेंसी तथा थर्ड पार्टी निरीक्षण एवं अनुवीक्षण एजेंसी

मिशन शहरों में समीक्षा एवं अनुवीक्षण प्रक्रम तथा सभी लाइफ साइकिल परियोजना विकास, परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को स्तर तक रखने के लिये (पूर्व–कन्सट्रक्शन, कन्सट्रक्शन, कमिशनिंग एवं ट्रायल रन एवं पोस्ट–कन्सट्रक्शन), एम.ओ.यू.डी. ने थर्ड पार्टी अनुवीक्षण के लिये राज्य स्तर का उत्सर्जन किया एवं एस.एल.एन.ए. के माध्यम से जे.एन.एन.यू.आर.एम. उप–मिशन-I (यू.आई.जी.) के अधीन स्वीकृत परियोजना की स्वतंत्र समीक्षा एवं अनुवीक्षण एजेंसियों को नियुक्त करना था। उसी तरह, एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने भी बी.एस.यू.पी. एवं आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं की समीक्षा एवं अनुवीक्षण के लिये थर्ड पार्टी निरीक्षण एवं अनुवीक्षण एजेंसियों (टी.पी.आई.एम.ए.) को इस तरह के प्रक्रम के लिये नियुक्त किया था। यह आवश्यक था कि प्रत्येक परियोजना आई.आर.एम.ए./टी.पी.आई.एम.ए. द्वारा कवर हो और शहरी, राज्य एवं केन्द्र स्तर पर समस्त परियोजनाओं के लाइफ साइकिल विकास का सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स को मूल स्तर पर प्रतिक्रिया की जानकारी हो।

एम.ओ.यू.डी. की लेखापरीक्षा के दौरान यह सुनिश्चित था कि यू.आई.जी. एवं यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अधीन परियोजनाओं की थर्ड पार्टी अनुवीक्षण के लिये केवल 27 राज्यों/यू.टी. में आई.आर.एम.ए. को नियुक्त किया गया। यह बिहार, दादर व नागर हवेली, दमन व द्वीप, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, नागालैण्ड में नियुक्त नहीं किये गये। अण्डमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में यू.आई.जी. एवं यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अन्तर्गत कोई भी परियोजना स्वीकृत नहीं हुई। एम.ओ.यू.डी. ने केवल आई.आर.एम.ए. के लिये 'आई.आर.एम.ए. की नियुक्ति' के समय मार्गनिर्देशिका के आधार पर मूल्यांकन किया एवं अन्य मार्गनिदेशों जैसे परियोजना लागू करने के मामले/प्रतिबंध को निर्धारित करने के लिये एस.एल.एन.ए./डी.ई.ए. द्वारा जो सूचना दी गई, की क्रास–जाँच सुनिश्चित नहीं की गई और प्रतिवेदनों का अवधि के आधार पर सुधारात्मक समीक्षा की।

94 परियोजनाओं में से विस्तृत जाँच के लिये, एम.ओ.यू.डी. ने केवल दो आई.आर.एम.ए. रिपोर्ट, अजमेर–पुष्कर, को प्रस्तुत किया और एक रिपोर्ट इन्दौर से संबंधित थी। समस्त लाइफ साइकिल के लिये विकास परियोजना में आई.आर.एम.ए. की सेवाएँ वांछित हैं। आई.आर.एम.ए. का कार्य जे.एन.एन.यू.आर.एम. द्वारा परियोजना की स्वीकृत तिथि से आरम्भ होता है। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि परियोजना बहुत समय पहले ही स्वीकृत हो चुकी थी; आई.आर.एम.ए. को चार वर्ष की देरी से नियुक्ति की स्वीकृति मिली। राज्य जिन में पहली परियोजना संस्वीकृति की तिथि से तीन वर्ष अथवा अधिक का विलम्ब था के उदाहरणों का विवरण निम्न है :

तालिका सं. 9.1 : आई.आर.एम.ए. की नियुक्ति में देरी

क्रम सं.	राज्य के नाम	परियोजना का नाम	सी.एस.एम.सी. द्वारा प्रथम परियोजना की स्वीकृति की तिथि	आई.आर.एम.ए. की नियुक्ति के लिये स्वीकृति की तिथि	प्रथम परियोजना की स्वीकृति एवं आई.आर.एम.ए. की स्वीकृति के बीच समय का अंतर
1.	असम	गुवाहाटी के लिये ठोस कचरा प्रबन्धन परियोजनाएँ	22.01.2007	29.09.2010	3 वर्ष 8 माह
2.	चंडीगढ़	चण्डीगढ़ में हरित क्षेत्रों की सिंचाई के लिये तृतीयक सीवेज़ की हारवेस्टिंग द्वारा पेयजल का संरक्षण	25.08.2006	30.10.2009	3 वर्ष 2 माह
3.	छत्तीसगढ़	आर.एम.सी. के विस्तृत क्षेत्र सहित जल आपूर्ति योजना का संवर्धन	08.09.2006	30.10.2009	3 वर्ष 1 माह
4.	हरियाणा	फरीदाबाद में सीवर व्यवस्था एवं सीवर ट्रीटमेंट निर्माण कार्यों की रिवेम्पिंग	22.01.2007	17.02.2011	4 वर्ष
5.	पंजाब	अमृतसर के लिये जल आपूर्ति, सीवर एवं सीवर ट्रीटमैन्ट	19.09.2006	30.10.2009	3 वर्ष 1 माह

स्रोत : एम.ओ.यू.डी. द्वारा भेजी गयी सूचना

आई.आर.एम.ए. के प्रक्रम को अच्छी श्रेणी की परियोजना के प्रयोग को; जैसे–समय एवं कीमत नियंत्रण; क्रय कीमत मूल्य; बजटिंग प्लानिंग में सुधार; एवं परियोजनाओं में निधियों का प्रवाह तथा परियोजना की प्रगति की माप एवं प्रभाव को एम.ओ.यू.डी. ने प्रभावी रूप से प्रयोग में नहीं लिया।

जनवरी 2012 तक 21 राज्यों/यू.टी. में टी.पी.आई.एम.ए. नियुक्त किये एवं अरूणाचल प्रदेश, बिहार, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, झारखण्ड, मेघालय, पंजाब एवं सिक्किम में उन्हें नियुक्त नहीं किया गया। यह महसूस किया गया कि 58 बी.एस.यू.पी. परियोजनाओं में से आठ और एम.ओ.एच.यू.पी.ए. में 30 परियोजनाओं के लिए टी.पी.आई.एम.ए. को राज्य ने नियुक्त नहीं किया। टी.पी.आई.एम.ए. की अनुमति तिथि से तीन वर्ष से अधिक की देरी के बाद टी.पी.आई.एम.ए. को नियुक्त किया जैसे दिल्ली के लिये बवाना, नरेला, एवं भोरगढ़ में शहरी गरीबों के लिये आवास की परियोजना 13 जून 2007 को स्वीकृत हुई थी जबकि टी.पी.आई.एम.ए. को 31 जनवरी 2011 को नियुक्त किया गया।

दो एजेंसियों के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों/यू.टी. से नमूना के आधार पर 126 परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय टी.पी.आई.एम.ए. को नियुक्त किया गया। उसके बाद केन्द्रीय टी.पी.आई.एम.ए. को, 4 उत्तर–पूर्वी राज्यों, नामतः–अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, और सिक्किम, को आगे बढ़ाया गया। केन्द्रीय टी.पी.आई.एम.ए. को चंडीगढ़ केन्द्र शासित प्रदेश को पूर्णरूप से कवर किया गया। झारखण्ड, गोवा, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नागर हवेली एवं दमन दीव, अभी तक टी.पी.आई एम.ए. की जाँच से बाहर थे। एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने जवाब में कहा (जनवरी 2012) कि वे सभी परियोजनाओं के लिये टी.पी.. आई.एम.ए. की नियुक्ति के लिये राज्यों के साथ सम्पर्क बनाये हुए थे।

इसके अतिरिक्त जाँच बताती है कि नमूना जाँच में बी.एस.यू.पी. की 58 परियोजनाओं एवं आई.एच.एस.डी.पी. की 30 परियोजनाओं में से क्रमशः 29 परियोजनाओं एवं 19 परियोजनाओं की टी.पी.आई.एम.ए. की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।

एम.ओ.यू.डी. ने उत्तर दिया (अप्रैल 2012) कि राज्य सरकार द्वारा तृतीय दल अनुवीक्षण के लिये एजेंसियाँ नियुक्त की जानी थीं। यह कहा कि देरी से नियुक्ति के बहुत से कारण थे जैसे राज्यों द्वारा प्रचार न करना एवं राज्यों द्वारा एम.ओ.यू.डी. की अनुमति के लिये परियोजनाओं को लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं करना।

दिल्ली के विषय में एम.ओ.यू.डी. ने जबाव दिया (मई 2012) कि जनवरी 2010 में, जी.एन.सी.टी.डी. ने अतिरिक्त एजेंसी जैसे आई.आर.एम.ए. को परियोजनाओं के लिये सुझाव का प्रस्ताव रखा जिससे एम.ओ. यू.डी. सहमत नहीं था। तदनत्तर एम.ओ.यू.डी. प्रत्येक परियोजना के लिये अतिरिक्त आई.आर.एम.ए. की नियुक्ति के लिये सहमत हुआ। यहां तक कि एम.ओ.यू.डी. में, जी.एन.सी.टी.डी. से प्राप्त प्रस्तावों को मार्गनिर्देशिकाओं के अनुसार सही नहीं पाया गया।

राज्यों/यू.टी. में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया कि कुछ मामलों में आई.आर.एम.ए. एवं टी.पी. आई.एम.ए. की नियुक्ति देरी से की गई। कुछ मामलों में आई.आर.एम.ए. एवं टी.पी.आई.एम.ए. द्वारा संबंधित क्षेत्रों का समुचित दौरा और उनकी रिपोर्टों को प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामले भी थे जहाँ उनकी अनुशंसाओं को कार्यान्वित नहीं किया गया।

ये मामले निम्न प्रकार हैं :

i. **आन्ध्र प्रदेश** में, नमूना जाँच की गई कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन की अनुवीक्षण के लिये टी.पी.आई.एम.ए./आई.आर.एम.ए. की नियुक्ति क्रमशः अगस्त 2009 और अगस्त 2008 में परियोजनाओं की स्वीकृति (मार्च 2006 एवं फरवरी 2007) के काफी बाद में की गयी। परिणामस्वरूप, परियोजनाओं के निर्माण से पूर्व की अवस्था को वे अपने कार्य में कवर नही कर सके।

ii. **अरूणाचल प्रदेश** में, एम.ओ.यू.डी. द्वारा चयनित एजेंसियों की सूची से, आई.आर.एम.ए. की नियुक्ति अक्टूबर 2009 तक के विलम्ब से की गयी जब कि जल आपूर्ति से संबंधित परियोजना की स्वीकृति 2006–07 में दी गयी थी। इस प्रकार आई.आर.एम.ए., निर्माण–पूर्व के चरण में डी.पी.आर. दस्तावेजों, विस्तृत अभिकल्प चित्रांकन अभिकल्प एवं निर्माण विशिष्ट, निविदा दस्तावेजों आदि की समीक्षा में शामिल नहीं हुई। आई.आर.एम.ए. दल ने अप्रैल 2011 में कुछ परियोजना स्थलों का दौरा किया। यह भी स्पष्ट नहीं था कि क्या आई.आर.एम.ए. ने अन्य परियोजनाओं का भी निरीक्षण किया था क्योंकि संबंधित पी.ई.ए. /एस.एल.एन.ए. ने संबंधित अभिलेखों को उपलब्ध नहीं किया।

iii. **बिहार** में, आई.आर.एम.ए. के गठन से संबंधित आदेश 6 जून 2011 को जारी किया गया था परंतु विभाग के पास कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं था।

iv. **चण्डीगढ़** में, आई.आर.एम.ए. ने "हरित क्षेत्रों की सिंचाई के लिए तृतीयक उपचारित मल के दोहन द्वारा पेयजल संरक्षण" की समीक्षा की थी तथा समीक्षा प्रतिवेदन दिसम्बर 2011 में प्रस्तुत किया था। आई.आर.एम.ए. ने डी.पी.आर. दस्तावेजों, विस्तृत अभिकल्प आरेख, अभिकल्प एवं विनिर्माण विशिष्टियों, निविदा दस्तावेजों इत्यादि का मूल्यांकन किया लेकिन भौतिक/वित्तीय प्रगति, गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के निष्पादन, वित्तीय निष्पादन तथा सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन की समीक्षा नहीं की क्योंकि कोई आवधिक प्रतिवेदन आई.आर.एम.ए. द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, अन्य परियोजना उचित अनुवीक्षण तथा "दूर संवेदी कम्प्यूटरीकृत निगरानी तंत्र के साथ स्वचालितीकरण के लिए जल आपूर्ति अवसंरचना का उन्नीकरण" की समीक्षा तथा अनुवीक्षण आई.आर.एम.ए. द्वारा नहीं किया गया था। इस प्रकार यू.एल.बी/एस.एल.एन.ए. तथा मिशन निदेशालय आई.आर. एम.ए. द्वारा उपलब्ध कराये गये इनपुट से लाभान्वित नहीं हो पाये। बी.एस.यू.पी. तथा आई. एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं की अनुवीक्षण के लिए टी.पी.आई.एम.ए. की नियुक्ति फरवरी 2010 में की गयी।

v. **हरियाणा** में, यह पाया गया कि यू.आई.जी., यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. एवं बी.एस.यू.पी. परियोजनाओं के संदर्भ में आई.आर.एम.ए./टी.पी.आई.एम.ए. जून 2009 तक के विलम्ब से

नियुक्त की गयी। इसी प्रकार, आई.एच.एस.डी.पी., परियोजनाओं को अनुवीक्षण के लिए टी.पी.आई.एम.ए. की नियुक्ति अक्टूबर 2010 में की गयी थी जबकि आई.एच.एस.डी.पी., यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी., बी.एस.यू.पी. तथा यू.आई.जी. घटकों के तहत परियोजनाओं को सी.एस.एम.सी. द्वारा अगस्त 2006 और जनवरी 2009 के बीच स्वीकृत किया गया।

vi. **हिमाचल प्रदेश** में, यह पाया गया कि आई.आर.एम.ए. की नियुक्ति जून 2011 तक नहीं की गयी थी हालाँकि, टी.पी.आई.एम.ए. की नियुक्ति मार्च 2011 में विलम्ब से गयी थी। एस.एल.एन.ए. द्वारा तृतीय दल अनुवीक्षण एजेंसियों की गैर नियुक्ति/नियुक्ति में विलम्ब के कारणों को लेखापरीक्षा को नहीं भेजे गये।

vii. **जम्मू और काश्मीर**, में आई.आर.एम.ए. की नियुक्ति फरवरी 2011 में यू.आई.जी. और यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के तहत परियोजनाओं के अनुवीक्षण के लिए की गयी थी। टी.पी.आई.एम.ए. सितम्बर 2011 तक स्थापित नहीं की गयी।

viii. **झारखण्ड** में, सी.एस.एम.सी. ने अपनी 78वीं बैठक (अक्टूबर 2009) में आई.आर.एम.ए. के रूप में नेशनल कन्सल्टेन्सी फॉर प्लानिंग एण्ड इंजीनियंरिग (एन.सी.पी.ई.)। हैदराबाद की नियुक्ति का अनुमोदन किया हालाँकि, जी.आर.डी.ए. तथा एन.सी.पी.ई के बीच सहमति 20 मई 2011 को कार्यान्वित की गयी। इस प्रकार, आई.आर.एम.ए. अंततः राज्य सरकार द्वारा ठेका करार के अनुमोदन में विलम्ब के कारण, सी.एस.एम.सी. के अनुमोदन के 19 महीने के पश्चात् झारखण्ड में अस्तित्व में आयी।

एन.सी.पी.ई. हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने, डेस्क समीक्षा के लिए, अनुमोदित डी.पी.आर, तकनीकी स्वीकृति, निविदा दस्तावेजों, परियोजना सहमतियों एवं निधि निर्गत होने के पत्रों आदि प्राप्त करने के लिए जुलाई 2011 में जी.आर.डी.ए. तथा यू.एल.बी. का दौरा किया।

तथापि, निदेशक एन.सी.पी.ई (जुलाई 2011) के बताये अनुसार, दौरे के दौरान वांछित सहयोग नहीं दिया गया तथा उपर्युक्त प्रलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

ix. **मणिपुर** में, आई.आर.एम.ए. और टी.पी.आई.एम.ए. के प्रतिवेदनों को मंत्रालयों को राज्य सरकार द्वारा मार्च 2011 में अग्रेषित किये गये तथापि यू.आई.जी. तथा आई.एच.एस.डी.पी. के तहत परियोजनाओं का अनुमोदन मई 2007 तथा मार्च 2008 में किया गया।

x. **मेघालय** में, बी.एस.यू.पी. के लिए डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस. एवं एच.यू.डी.सी.ओ. को टी.पी.आई.एम.ए. के रूप में संस्थापित किया गया। डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस. द्वारा अक्टूबर 2010 में तथा एच.यू.डी.सी.ओ. द्वारा जनवरी 2011 में निरीक्षण किया। उनके प्रतिवेदन प्रतिक्षित हैं। यू.आई.जी. के लिए टेट्रा टेक को 23 नवम्बर 2009 को जून 2008 में प्रथम परियोजना के स्वीकृति के तिथि से 17 महीनों के विलम्ब से नियुक्त किया गया।

xi. **नागालैण्ड** में, विभाग ने मैसर्स टेट्रा टेक को आई.आर.एम.ए. के रूप में यू.आई.जी. के अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए 2010–11 में नियुक्त किया। हालाँकि, आई.आर.एम.ए. ने किसी स्थल का दौरा नहीं किया, और सितम्बर 2011 तक कोई प्रतिवेदन तैयार/प्रस्तुत नहीं किया। वाटर एण्ड पावर कन्सल्टेन्सी सर्विसेस (इण्डिया) लिमिटेड (डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस.) को बी.एस.यू.पी. तथा आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं के लिए टी.पी.आई.एम.ए. के रूप में जनवरी 2010 में नियुक्त किया गया। टी.पी.आई.एम.ए. को परियोजनाओं की समीक्षा के लिए राज्य के चार दौरे किये। हालाँकि, मात्र दो प्रतिवेदन (द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन) विभाग के पास उपलब्ध थे। यह कहा गया था कि प्रथम एवं चतुर्थ दौरे के प्रतिवेदन विभाग को प्रस्तुत नहीं किये गये।

9.2.2 कार्यक्रम प्रबंधन इकाई तथा परियोजना कार्यान्वयन इकाई

योजना में एस.एल.एन.ए. को उनकी परियोजना मूल्यांकन, परियोजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की अनुवीक्षण , सुधारों के कार्यान्वयन की अनुवीक्षण की भूमिका तथा जिम्मेदारियों के निर्वाह में सहायता करने, तकनीकी तथा परामर्शी सहायता आदि प्रदान करने, एस.एल.एन.ए. की क्षमता संवर्धन में सहायता करने के लिए कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.) के सृजन का प्रावधान था।

उसी प्रकार परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पी.आई.यू.), यू.एल.वी. के दक्षता सम्मिश्रण के संवर्धन एवं प्रतिपूर्ति के लिए, कार्यकारी एककों के रूप में सृजित किये जाने थे। पी.एम.यू. तथा पी.आई.यू. से एस. एल.एन.ए. तथा यू.एल.बी. की क्षमता का संवर्धन अभिप्रायित था। हालाँकि, हमने पाया कि ये विशिष्टीकृत इकाइयां स्थापित भी नहीं की गयी थीं। राज्यों/यू.टी. में जहाँ ये स्थापित थे, वहाँ भी उनकी भूमिका सीमित थी।

9.2.3 कार्यक्रम अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन तंत्र (पी.एम.ई.एस.)

मिशन निदेशालय, एम.ओ.यू.डी. ने जे.एन.एन.यू.आर.एम. के लिए वेब समर्थित कार्यक्रम अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन तंत्र (पी.एम.ई.एस.) कार्यान्वित किया। ऐसा कहा गया कि पी.एम.ई.एस., जे.एन.एन.यू.आर.एम. परियोजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के पक्षों को जोकि पी.ई.ए. तथा आई.आर.एम.ए. दोनों द्वारा प्रतिवेदित किये, अभिग्रहण के लिए अभिकल्पित किये जाने थे। पी.एम.ई.एस. में विविध मोड्यूल जैसे सी. डी.पी., डी.पी.आर., मूल्यांकन इत्यादि शामिल थे और कथनानुसार ये आपस में अंतर्संबंधित थे। जिस समय 2008 में पी.एम.ई.एस. प्रचालन में किया गया, जे.एन.एन.यू.आर.एम. (यू.आई.जी.) के तहत 300 परियोजनाएं पहले ही अनुमोदित की जा चुकी थी। राज्यों/यू.टी. में लेखापरीक्षा ने यह दर्शाया कि राज्यों/यू.टी. ने पी.एम.ई.एस. का प्रयोग बहुत कम किया।

एम.ओ.यू.डी. ने अपने प्रत्युत्तर (अप्रैल 2012) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों की पुष्टि की तथा सूचित किया कि 31 मार्च 2012 से पी.एम.ई.एस. को बन्द कर दिया गया था। एम.ओ.यू.डी. ने उत्तर दिया कि पी.एम. ई.एस. की खामियों का परियोजना अनुवीक्षण तथा सूचना तंत्र (पी.एम.आई.एस.) में ध्यान रखा जायेगा।

9.2.4 राज्य स्तरीय संचालन समिति (यू.आई.जी. एवं बी.एस.यू.पी.)/राज्य स्तरीय समन्वय समिति (आई.एच.एस.डी.पी.)/राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.)

यू.आई.जी. तथा बी.एस.यू.पी. के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति की प्राथमिक भूमिका जे.एन.एन.यू. आर.एम. के अन्तर्गत परियोजनाओं पर निर्णय लेना तथा उन्हें प्राथमिकृत करना था। इसकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण तथा राज्यों/यू.टी. में शहरी सुधार की प्रगति की समीक्षा में भी एक भूमिका थी। यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की जितनी बार आवश्यकता हो, उतनी बार किन्तु बिना रूकावट के कम से कम वर्ष में तीन बार बैठक होगी तथा चालू परियोजनाओं की समीक्षा तथा नयी परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान करेगी। आई.एच. एस.डी.पी. दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एस.एल.सी.सी.) उतनी बार जितनी आवश्यकता हो परन्तु एक तिमाही में एक बार चालू परियोजनाओं की समीक्षा तथा नयी परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए बैठक करेगी।

चयनित राज्यों/यू.टी. की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि राज्यों में शहरी सुधार के प्रगति की समीक्षा हेतु तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति/एस. एल.सी.सी. की पर्याप्त बैठकें आयोजित नहीं की गयीं। हरियाणा में, 2007–11 के दौरान राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की मात्र चार तथा राज्य स्तरीय संचालन समिति की एक बैठक आयोजित की गयी। दिल्ली में परियोजनाओं का राज्य स्तरीय अनुवीक्षण तंत्र अस्तित्व में नहीं था। दिल्ली में, यह देखा गया कि राज्य/यू.एल.बी. स्तर पर सुधारों के अनुवीक्षण के लिए कोई प्रक्रम नहीं था। मध्य प्रदेश में, यू.आई. जी. और बी.एस.यू.पी. के संदर्भ में, 2007–11 के दौरान एस.एल.एस.सी की मात्र दो बैठक की गयी। 2009–10 के बाद पुडुचेरी में एस.एल.एस.सी. की कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी। असम में परियोजना कार्यों की प्रगति के मूल्यांकन पर चर्चा हुई। परन्तु परियोजना कार्यों की गति बढ़ाने हेतु

सुझाव/उठाये गये कदम, अभिलेख में नहीं पाये गये या अभिलेखित नहीं किया गया। उसी प्रकार, दमन और दीव में, तथापि यू.टी. प्रशासक की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर बहुत सी बैठकें, 2008–09 से 2010–11 के बीच आयोजित की गयीं, पर परियोजना का प्रारम्भ होना अभी बाकी है।

एम.ओ.यू.डी. ने प्रत्युत्तर दिया (मई 2012) कि एस.एल.एस.सी की बैठकें कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और उन्हें निर्बाधरूप से परियोजनाओं के कार्यान्वयन के साथ–साथ शहरी क्षेत्रों के सुधार अनुवीक्षण तथा समीक्षा के लिए बैठकें आयोजित करने के लिए परामर्श दिया गया था।

अनुशंसा संख्या 9:

सरकार जी.ओ.आई. एवं राज्य/यू.टी. दोनों स्तरों पर योजना के अनुवीक्षण की खामियों की पहचान करे तथा उनका अगले दो वर्षों के दौरान समाधान करें।